सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

पीठासीन अधिकारी :— हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या :— 01/2017

अपीलाण्टस् — **बनाम** — **रेस्पोडेण्ट्स**

अपीलाण्टस्

1. सुरेखा पुत्री श्री शकरलाल
2. रतनमाला पुत्री श्री शंकरलाल
   जाति श्रीगोड़ ब्राहम्ण निवासीगण हरियाडा, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स

1. सरपंच ग्राम पंचायत हरियाड़ा तहसील बिलाड़ा
2. लालाराम पुत्र श्री पेमाराम
3. मदनलाल पुत्र पेमाराम
4. देवाराम पुत्र पेमाराम
5. मोतीलाल पुत्र पेमाराम
   सभी जातियान ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम हरियाड़ा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

बखिलाफ म्यूटेशन संख्या 581 दिनांकित 13.06.1980

निर्णय दिनांक :— 01.06.2017

पत्रावली आज बमुकाम हरियाड़ा राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार शिविर में प्रस्तुत हुयी। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 तक स्वयं उपस्थित ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सपठित धारा 11 सी.पी.सी. पेश किया जिसमें जाहिर किया कि उक्त अनवान की अपील पूर्व में सुनी जा चुकी है एवं अपील का निस्तारण अंतिम रूप से पूर्व निर्णित राजस्व अपील संख्या 69/1998 एवं अपील संख्या 70/1998 के निर्णय दिनांक 22.02.2000 को न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर द्वारा हो चुका है। जिसमें प्रत्यक्षत एवं सारत उभय पक्षकारान के मध्य पूर्ववर्ती अपील में सुना जाकर निस्तारण किया जा चुका है जिसमें म्यूटेशन संख्या 581 व 741 का विनिश्यच अन्तिम रूप से हो चुका है। आदेश की प्रति रेस्पोडेण्ट्स द्वारा जवाब के साथ प्रस्तुत किया है। रेस्पोडेण्ट्स ने अपने प्रार्थना पत्र जवाब के अन्त में जाहिर किया कि विचाराधीन अपील का पूर्व में निस्तारण हो जाने से पोषणीय नही होने से उक्त अपील मय खर्चे के खारिज की जावे। अपीलाण्टस् स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रेस्पोडेण्ट्स 1 से 5 तक स्वयं उपस्थित। अपीलाण्ट्स की अनुपस्थिति में रेस्पोडेण्ट्स की ओर से बहस मजमें आम में सुनी गयी।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज व अपील का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि ग्राम हरियाड़ा तहसील बिलाड़ा के नामान्तरकरण संख्या 581 की अपील इन्ही अपीलाण्ट्स सुरेखा व रतनमाला द्वारा न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर में दर्ज करवायी थी जो अपील संख्या 69/98 श्रीमति रतनमाला वगैराह बनाम लालाराम वगैराह दर्ज होकर दिनांक 22.02.2000 को निर्णित हो चुकी है। माननीय अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर द्वारा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाहर होने से खारिज की जा चुकी है। अतः मौजूदा अपील रेस ज्यूडिकेस से बाधित है इस कारण अपील अपीलाण्ट्स खारिज किये जाने योग्य होने से अपील

अपीलाण्ट्स खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा